समाहरणालय, शेखपुरा

(कार्यालय जिला निर्वाचन)

पुनः अल्पकालीन निविदा सूचना

शेखपुरा जिला अन्तर्गत सभी 2 (दो) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नये विस्तृत दिशा निदेश के आलोक में ERMS/ERO Net से पी0वी0सी0 रंगीन मतदाता फोटो पहचान पत्र का निर्माण, फोटो युक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण/संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण तथा निर्वाचक सूची से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों यथा–प्रपत्र–6,7, 8 इत्यादि के मुद्रण कराये जाने के लिए दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य इच्छुक फर्म से द्विलिफाफ पद्धति में मुहरबंद निविदा दिनांक–27/12/2018 के अपराह्न 02:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट **http://sheikhpura.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है तथा निविदा हेतु विहित प्रपत्र दिनांक–27/12/2018 के पूर्वाह्न तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा में 500/– (पाँच सौ) रूपये मात्र जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। सभी कार्यो के लिए निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में ही दर देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य हो जायेगा। निविदा निर्धारित तिथि/समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा में दिया जा सकता है एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में पुनः निविदा निष्पादन की तिथि अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(हस्ताक्षर) 2/12/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह– जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

समाहरणालय, शेखपुरा

(कार्यालय जिला निर्वाचन)

फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (श्याम–श्वेत एवं रंगीन पी0वी0सी0) निर्माण हेतु इच्छुक निविदादाताओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की शर्तें

मुल्य–₹500/– (निविदा पत्र सहित)

(क) निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफ अलग – अलग होना आवश्यक है। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Annexure -I & Annexure - II) में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
2. बगैर कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, संशोधन करने, कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुये न्यूनतम दर पर कार्य एक से अधिक निविदादाताओं में बाँटने एवं समझौता का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
3. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योनाश्रित होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यो के लिए एक ही सर्विस प्रोवाइडर/एजेन्सी का चयन किया जायेगा। बिहार एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अनुभवी सर्विस प्रोवाइडर/एजेन्सी को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. सभी कार्य ERMS/ ERO Net अथवा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया जायेगा।
5. निविदादाता फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनकी फर्म/प्रोपराईटर पर न्यायालय में किसी तरह का मुकदमा नहीं चल रहा है।
6. निविदादाता फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का स्व–लिखित शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता यदि Limited/Private Limited Company है तो उसे Company Act 1956 के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य होगा। निविदादाता का Consortium होना मान्य नहीं होगा।

8. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा के द्वारा निर्धारित शर्तो/दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
9. निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली सभी वांछित कागजात निविदा जमा करते समय संलग्न रहना चाहिये। बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
10. चयनित एजेन्सी को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
11. चयनित एजेन्सी द्वारा कार्यादेश के बाद कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (Earnest Money) जब्त कर ली जायेगी तथा उनके विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
12. निविदादाता फर्म को कार्य आदेश के उपरांत Non-Disclosure Agreement करना अनिवार्य होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता फर्म को सेवाकर (Service Tax), लघु उद्योग एवं बिहार Shop & Establishment Act के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्षो से बिहार में निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को वस्तु एवं सेवाकर (GST) का निबंधन प्रमाण–पत्र, अद्यतन Return वित्तीय वर्ष 2017–18 में कम से कम 10,000,00/– (दस लाख) रूपये का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो, इस हेतु फर्म को आयकर संख्या (PAN Number) के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का अद्यतन आयकर Return एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) का Audit Report तथा Balance sheet के साथ प्रति वर्ष तीन–तीन करोड़ रूपये का टर्नओवर एवं अंतिम वित्तीय वर्ष में पचास लाख का Net Worth का Audited Report से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता के फर्म का ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता फर्म को EPFO (Employees Provident Fund Organization) एवं ESIC (Employees State Insurance Corporation) के अंतर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना अनिवार्य होगा। साथ ही विगत 6 माह का Employees का ESIC जमा करने से संबंधित चलान की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी नाम, योग्यता के साथ देनी होगी। कर्मी Company/Firm के Payroll पर कार्यरत है इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है। जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया पावती रसीद की प्रति संलग्न करनी होगी।
9. निविदादाता फर्म को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में फोटो निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में अर्थात् इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम बिहार राज्य के तीन–तीन जिलों में कार्य से संबंधित जिला द्वारा निर्गत आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। सबकॉन्ट्रेक्ट के अधीन किया गया कार्य अनुभव की श्रेणी में नहीं माना जायेगा।
10. निविदादाता फर्म को किसी एक वर्ष में किसी एक जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता फर्म के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना का विवरण यथा 15 कम्प्यूटर, आवश्यकतानुसार जेनरेटर, आवश्यकतानुसार यू0पी0एस0, 3 उच्च कोटि एवं हाई स्पीड प्रिंटर, 4 लेमिनेशन मशीन, पी0वी0सी0 ईपिक कार्ड प्रिंट करने हेतु 3 प्रिंटर की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण पत्र

तथा उनकी संख्या सहित पूर्ण विवरणी भी देना होगा। उपलब्ध दिखाये गये संसाधन की समीक्षा/भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही कार्यादेश देने पर विचार किया जायेगा।

12. आवंटित कार्य के सब–कॉन्ट्रेक्टिंग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under Taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में सब–कॉन्ट्रेक्टिंग पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेते हुये जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये फर्म पर कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

13. निविदादाता फर्म द्वारा प्रयुक्त सिस्टम में अनुज्ञप्ति प्राप्त (Licensed) Operation System एवं Anti Virus Software का प्रयोग करना होगा तथा इस संबंध में शपथ–पत्र देना होगा।

14. निविदादाता को लेजर प्रिंट हेतु Original Tonner का प्रयोग करना होगा तथा ए4 साईज के 75 gsm पेपर का प्रयोग करना होगा।

15. राज्य की Electoral Roll Management System/ERO Net के EPIC Module के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये Software अथवा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये Software को छोड़कर एजेन्सी को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य Software के माध्यम से ईपिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा पेपर प्रिन्टेड ब्लैक एण्ड वाईट ईपिक के लिए निर्धारित किया गया स्वरूप एवं विशिष्टियाँ निम्नवत् है :–

a) फोटो पहचान पत्र का आकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है एवं यह 8.4 से0मी0 लम्बाई x 5.0 से0मी0 चौड़ाई का होना चाहिये। छायाचित्र 320x240 पिक्सल स्पष्टता (resolution) एवं 2.4 से0मी0 उंचाई x 1.8 से0मी0 चौड़ाई के आकार का होना चाहिये जिसमें छायाचित्र का 75% भाग सामने से लिये गये निर्वाचक के चेहरे से आच्छादित हो।

b) आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ईपिक की छपाई में प्रयुक्त होने वाला कागज 165 जी0एस0एम0 से कम नहीं होना चाहिये। जहाँ कागज की एक ओर ही छपाई कर एवं उसे मोड़कर ईपिक तैयार किया गया हो, वहॉ प्रयुक्त किया गया कागज 80 जी0एस0एम0 से कम का नहीं होना चाहिये।

c) ईपिक के लेमिनेशन में प्रयोग की जाने वाली पॉलिएस्टर परत की मोटाई कम–से–कम 125 माईक्रॉन होनी चाहिए।

17. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा PVC Sheet पर रंगनी ईपिक कार्ड का स्वरूप एवं विशिष्टियाँ निम्न प्रकार है:–

a) पी0भी0सी0 रंगीन ईपिक कार्ड का आकार : 8.6 cm Vertical and 5.4 cm horizontal.

b) कार्ड की मोटाई : Thickness: 0.6mm to 0.8mm

c) लेमिनेशन : Lamination: 60 microns overlay.

18. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचक डाटावेस में संधारित डिजिटल छायाचित्रों (jpeg Formate) के माध्यम से निर्मित किये जायेंगें। निर्धारित डिजिटल फॉमेट में रंगीन छायाचित्र भी जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा को एक Deliverable होगा जिसकी विशिष्टियाँ निम्नवत् होगी:–

a) Size of Photograph- 3.2cm (Vertical) x 2.4cm (horizontal)

b) Resolution – 320x240 pixels

c) High quality photographs in color and in portrait mode which shall show a close-up of the applicant's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimension of the picture.

19. नये एवं डुप्लीकेट ईपिक का अलग–अलग मिनियेचर शीट ए4 साईज के कागज पर (दोनों तरफ) पर 80–100 मतदाता फोटो पहचान पत्र के मिनियेचर मुद्रित किया जायेगा, जिन्हें उच्च गुणवता के पलास्टिक शीट से लेमिनेट किया जायेगा। यह मिनियेचर शीट मतदान केन्द्रवार की जायेगी एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मिनियेचर शीट एक फोल्डर में रखी जायेगी।

20. फर्म को सभी कार्य जैसे– डाटा इन्ट्री, Internet Connectivity, लेजर प्रिंटिंग, फोटो पहचान पत्र निर्माण, आदि हेतु आवश्यक संसाधन यथा–विद्युत/जेनरेटर आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। शेखपुरा जिला मुख्यालय के सरकारी भवन में कमरा खाली रहने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्यथा उन्हें समाहरणालय के आस–पास भाड़े के मकान में स्वंय के खर्च पर कार्य संपन्न कराना होगा।

21. कार्य समाप्ति के बाद निर्वाचन से संबंधित सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से पदाधिकारी के देख–रेख में हटाना होगा।
22. मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रयुक्त होने वाले कागज, पोलिस्टर फिल्म एवं पी0वी0सी0 कार्ड का नमुना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर एवं मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
24. एकरारनामा के समय बैंक गंरटी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अग्रिम राशि अनुबंध मूल्य का 2 प्रतिशत लिया जायेगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. वित्तीय निविदा में फोटो निर्वाचक सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण से संबंधित दर सभी करों सहित निर्धारित प्रपत्र में देना होगा।
3. सफलता पूर्वक निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करते हुये जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
5. उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय–समय पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्धारित शर्त्तो/निर्देशो का अक्षरशः पालन करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह– जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

ज्ञापांक......611........./निर्वा0 शेखपुरा, दिनांक ...03/.....12...../2018

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उक्त निविदा सूचना को शेखपुरा जिला के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जमुई/लखीसराय/बेगूसराय/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, शेखपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। इसे अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा/वरीय कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रबंधक, जिला उद्योग, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा/उप निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला क्रय समिति के बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

3.12.18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह– जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा